राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक :– 28 SEP 2021

आदेश

1. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हेतु अनुज्ञा व आवंटन) नियम 2012 के नियम 16(2) के अनुसार 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से 90–ए (8) का निर्णय व ले–आउट प्लान स्वीकृत करने के पश्चात आमजन को पट्टा लेने हेतु आवेदन करने की सूचना जारी करने की अवधि समाप्त होने के पश्चात आवेदन नहीं करने पर प्रीमियम व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई अन्य राशि पर ब्याज का प्रावधान है। विभागीय आदेश दिनांक 01.09.2021 द्वारा 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं व पृथ्वीराज नगर जयपुर में अभियान अवधि को प्रथम कैम्प मानते हुए सामान्य प्रिमियम दर पर व अन्य राशि वसूल कर पट्टे दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। दिनांक 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों में आवेदन नहीं करने पर ब्याज वसूलने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, अतः ब्याज देय नहीं है। 17.06.1999 से पूर्व/पश्चात की कॉलोनियां जिनमें 90–ए/90–बी की कार्यवाही हो चुकी है, उनमें आवेदन नहीं करने अथवा लगाये गये प्रथम कैम्प के पश्चात किये गये आवेदनों में मांगपत्र वर्तमान प्रचलित दरों पर बिना ब्याज के जारी कर राशि जमा होने के पश्चात पट्टे दिये जावे।
2. उक्त नियमों के नियम 9 में मांगपत्र प्राप्त होने की दिनांक से 90 दिवस पश्चात ब्याज देय है तथा एक वर्ष तक मांगपत्र अनुसार राशि जमा नहीं कराने पर अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त होने का प्रावधान है। अतः दिनांक 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात की कॉलोनीयों, निजी विकासकर्ता की टाउनशिप व ग्रुप हाउसिंग की योजनायें जिनमें 90–ए/90–बी की कार्यवाही हो चुकी है ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें मांगपत्र जारी हो चुका है किन्तु राशि जमा नहीं हुई है उनमें अभियान अवधि (15.09.2021 से 31.03.2022 तक) में वर्तमान प्रचलित दरों पर मांग पत्र बिना ब्याज के जारी किया जाकर राशि जमा होने के पश्चात पट्टे दिये जावे।

Scanned with CamScanner

3. कम संख्या एक व दो के समस्त प्रकरणों में संशोधित मांग–पत्र जारी कर तदनुसार राशि अभियान अवधि में आयोजित होने वाले शिविर/कैम्प से पूर्व जमा होने या शिविर/कैम्प में ही जमा कराई जाकर शिविर/कैम्प में ही जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य सभी सम्बन्धित निकायों द्वारा पट्टा दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

22/9/21
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner